

गर्बाड ने की पीएम से मुलाकात लोकसभा: इनकम टैक्स बिल पेश

● तुलसी का परिवार भारत का नहीं पर हिंदू धर्म से गहराई से जुड़ा है

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गर्बाड ने बुधवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने यहां बताया कि श्री मोदी ने सुश्री गर्बाड के साथ अपनी पूर्व की बातचीत को याद किया।

विदेश मंत्रालय के अनुसार चर्चा में भारत एवं अमेरिका के बीच द्विपक्षीय खुफिया सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, उभरते खतरों और रणनीतिक खुफिया जानकारी साझा करने पर चर्चा हुई। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया, एक सुरक्षित, स्थिर और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का



कौन है पीएम मोदी से मुलाकात करने वाली तुलसी गर्बाड?

अमेरिका के राष्ट्रपति के अतिथि गृह 'ब्लेयर हाउस' पहुंचने पर भारतीय-अमेरिकी प्रवासी समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा के बाद बुधवार को शाम करीब साढ़े पांच बजे (भारतीय समयानुसार गुरुवार सुबह चार बजे) अमेरिकी की राजधानी पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बृहस्पतिवार को मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गर्बाड से मुलाकात की और दोनों देशों

के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दोनों नेताओं की यह बातचीत आतंकवाद और उभरते खतरों से निपटने में खुफिया सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रही। इस बीच पीएम मोदी ने हिंदू-अमेरिकी गर्बाड को देश की शीर्ष खुफिया अधिकारी नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में गर्बाड की नियुक्ति को बुधवार को मंजूरी मिली थी। तुलसी गर्बाड पवित्र गीता लेकर सांसद की शपथ लेने वाली नेता के तौर पर सुर्खियों में रही थीं।

● इसके पन्ने 823 से घटाकर 622 किए, अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत आएंगे क्रिप्टो एसेट

नई दिल्ली, (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में नया आयकर बिल 2025 पेश किया। आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए नया कानून बनाने का एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी 2025 के अपने बजट भाषण में किया था। वित्त मंत्री लोकसभा में बिल पेश करने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर्तन समिति को भेजने का आग्रह किया। आइए इस बारे में और जानें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया और अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर्तन समिति को भेजने का निवेदन किया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को प्रस्तुत करने के दौरान इसका विरोध किया, लेकिन सदन ने इसे प्रस्तुत करने के लिए ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर दिया। विधेयक को पेश करते हुए सीतारमण ने

बिरला से आग्रह किया कि वे मसौदा कानून को सदन की प्रवर्तन समिति को भेजें, जो अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने अध्यक्ष से प्रस्तावित पैल की संरचना और नियमों पर निर्णय लेने का आग्रह किया। बहुप्रतीक्षित विधेयक में प्कर निर्धारण वर्ष और प्कर वर्ष जैसे शब्दों के स्थान पर प्कर वर्ष जैसे सरलीकृत शब्द रखे जाएंगे, जो कि आयकर कानून की भाषा को सरल बनाने का एक पहलू है। इसके साथ ही नए कानून से अनावश्यक प्राक्खान और स्पटीकरण भी हट जाएंगे। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया था नए आयकर कानून का एलान आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए नया कानून बनाने का एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी 2025 के अपने बजट भाषण में किया था। इस विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की भी मंजूरी मिल चुकी है। लोकसभा में पेश होने वाला नए



आयकर विधेयक 2025 में क्या बदलेगा?

	पहले	अब
धारा	298	536
अनुसूची	14	16
अध्याय	23	23
पन्ने	880	622

● नए कानून में FY और AY की जगह केवल 'कर वर्ष' का होगा इस्तेमाल

आयकर विधेयक में 536 धाराएं हैं। इसमें 23 अध्याय हैं और यह 622 पन्नों का है। इस विधेयक के पारित होने के बाद नया आयकर कानून अधिक व्यवस्थित और वर्तमान कानून की तुलना में सरल होगा। नए आयकर कानून में मूल्यांकन वर्ष की अवधारणा होगी समाप्त एक बार कानून बनने के बाद आयकर विधेयक 2025 छह

दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। पहले का कानून समय के साथ और विभिन्न संशोधनों के बाद काफी जटिल हो गया है, इसलिए इसकी जगह नया आयकर विधेयक लाया जा रहा है। सरकार कानून से प्रस्तावित नए कानून में आयकर अधिनियम, 1961 में उल्लिखित पिछले वर्ष (FY) शब्द

को बदलकर 'कर वर्ष' कर दिया गया है। इसके साथ ही, मूल्यांकन वर्ष (AY) की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। नए कानून में कर निर्धारण वर्ष की अवधारणा होगी समाप्त वर्तमान में, पिछले वर्ष (2023-24) में अर्जित आय के लिए, कर का भुगतान निर्धारण वर्ष (2024-25) में किया जाता है।

बीजेपी को चुनाव आयोग का आशीर्वाद था, केजरीवाल से मिलने के बाद बोले आदित्य ठाकरे

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केजरीवाल से मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में बहुत काम किए हैं जिसे जनता जानती है। भाजपा को चुनाव आयोग का आशीर्वाद था इसलिए भाजपा को चुनाव आयोग का आभार करना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने आज आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, अरविंद सावंत और संजय दीना पाटिल मौजूद रहे। केजरीवाल से मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में बहुत काम किए हैं जिसे जनता जानती है। भाजपा को चुनाव आयोग का आशीर्वाद था इसलिए भाजपा को चुनाव आयोग का आभार करना चाहिए। काफी जगह वोट काटे गए थे, चुनाव आयोग ने लोगों से वोट डालने का अधिकार छीना है। आज हमारे देश में निष्पक्ष

चुनाव नहीं होते हैं। बिजली को लेकर भाजपा पर भड़की आतिशी आप नेता आतिशी ने बिजली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में पावर कट का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, शिदिल्ली में बीजेपी की सरकार आते ही बिजली व्यवस्था बर्बाद हो गई। पावरकट से परेशान दिल्लीवाले इन्वर्टर खरीदना शुरू कर चुके हैं।

‘सनातन धर्म से ही सुरक्षित रहेगी मानवता’

● सनातन अपने विचार किसी पर थोपता नहीं है: सीएम योगी

● महाकुंभ पूरे विश्व को एकता का संदेश दे रहा: मुख्यमंत्री योगी

गोरखपुर, (एजेंसी)। गोरखपुराधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि सनातन धर्म वास्तव में मानव धर्म है और सनातन धर्म ही विश्व मानवता का धर्म है। गोरखपुर पधारे जगद्गुरु शंकराचार्य विधुशेखर भारती के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म अर्वाचीन है। समय समय पर इस पर अनेक प्रहार हुए लेकिन भगवान की अवतार परंपरा, संतों, ऋषियों और महामानवों ने धराधाम पर सनातन धर्म का संरक्षण किया और सनातन धर्मवर्तुलियों के सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की। सनातन अपने विचार किसी पर थोपता नहीं है: योगी मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि दुनिया में अनेक पंथएं सम्राज्य,

मत, मजहब ने अपने विचार लोगों पर थोपने के प्रयास किए लेकिन सनातन अपने विचार किसी पर थोपता नहीं है। यह जीवन जीने के तरीके को स्वतंत्रता, उन्मुक्तता और सहजता से आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाता है। सनातन धर्म जितनी स्वतंत्रता, उन्मुक्तता और सहजता अन्यत्र नहीं है। योगी ने कहा कि सनातन धर्म को किसी एक परिभाषा में सीमित नहीं किया जा सकता। वास्तव में यह कृत और कर्ता के प्रति कृतज्ञता का भाव है। और महामानवों ने धराधाम पर सनातन धर्म का संरक्षण किया और सनातन धर्मवर्तुलियों के सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की। सनातन अपने विचार किसी पर थोपता नहीं है: योगी मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि दुनिया में अनेक पंथएं सम्राज्य,



‘सनातन धर्म से ही सुरक्षित रहेगी मानवता’

महाकुंभ पूरे विश्व को एकता का संदेश दे रहा है। 45 दिन के महाकुंभ के आयोजन में अब 14 दिन का समय शेष है। अब तक 31 दिन में करीब 48 करोड़ श्रद्धालु गंगा जमुना, सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण प्रस्तुत करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि महाकुंभ का यही है संदेश, एकता से अखंड रहेगा देश। योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में काशी में बाबा विश्वनाथ के बने भव्य धाम और अयोध्या में 500 वर्षों के इंतजार के बाद बने

श्रीराम मंदिर की दिव्यता और भव्यता को गौरवान्वित करने वाला बताया। भगवान आदि शंकर ने सनातन परंपरा को पुनर्जीवित सीएम योगी ने कहा कि एक समय यह लगने लगा था कि सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। तब सनातन परंपरा को भगवान आदि शंकर ने पुनर्जीवित किया था। सनातन धर्म की परंपरा को सतत आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने विजय यात्रा निकाली, शास्त्रार्थ किया और देश के चार कोनों में चार धर्म पीठों, उत्तर में ज्योतिष, पूरब के जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारिका और दक्षिण में शृंगेरी पीठ की स्थापना की।

दिल्लीवाले मान रहे गलती, बिजली को लेकर भड़कीं आतिशी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आतिशी ने कहा कि भाजपा दिल्ली में साल 1993 से 1998 तक सरकार में थी और उस समय भी बिजली व्यवस्था खराब थी। भाजपा ने तीन दिनों में ही दिल्ली को उत्तर प्रदेश बनाया शुरू कर दिया है और वहां की तरह लंबे-लंबे पावरकट लगाना शुरू कर दिए हैं। आप नेता आतिशी ने बिजली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में पावर कट का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, शिदिल्ली में बीजेपी की सरकार आते ही बिजली व्यवस्था बर्बाद हो गई। पावरकट से परेशान दिल्लीवाले इन्वर्टर खरीदना शुरू कर चुके हैं। दिल्लीवाले मान रहे हैं कि इस बार चुनाव में उनसे गलती हो गई जो वह भाजपा की सरकार ले आए। आतिशी ने कहा, शिदिल्ली में साल 1993 से 1998 तक सरकार में थी और उस समय भी बिजली व्यवस्था खराब थी। भाजपा ने तीन दिनों में ही दिल्ली को उत्तर प्रदेश बनाया शुरू कर दिया है और वहां की तरह लंबे-लंबे पावरकट लगाना शुरू कर दिए हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी सोशल मीडिया पर पावरकट होने की तमाम शिकायतें की हैं।

मेरे रहते बिहार में भाजपा नहीं बना सकती सरकार: लालू प्रसाद

● लालू प्रसाद के इस बयान पर मचा बवाल

पटना, (एजेंसी)। बिहार में हमारे रहते भाजपा सरकार नहीं बना सकती। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को पहचान चुकी है। वैसे भी मेरे रहते बिहार में भाजपा के सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में हमारे रहते भाजपा सरकार नहीं बना सकती। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार की करारी हार के बाद पत्रकारों ने जब लालू प्रसाद से सवाल किया कि जिस तरह से दिल्ली में भाजपा ने अप्रत्याशित जीटी हासिल कर के जीत दर्ज की है, तो क्या ऐसे में इसका असर बिहार में होने वाले बिहार विधान सभा चुनाव पर भी पड़ेगा? इसके जवाब में लालू प्रसाद यादव ने जवाब दिया कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को पहचान चुकी है। वैसे भी मेरे रहते बिहार में



फिलहाल यह सपना देखना छोड़ दें, क्योंकि वह दुर्योधन को कभी नहीं राज दे सकते हैं। दुर्योधन का जो हाल था वही होने वाला है। लालू प्रसाद यादव घोटालों के हैं सम्राट भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव बड़बोले नेता हैं। वह घोटालों के सम्राट रहे हैं। वह झारखंड के कोटवार जेल को सुराभित कर चुके हैं और सजायापता हैं। लालू प्रसाद यादव अभी धृतराष्ट्र के रोल में हैं। अपने पुत्र दुर्योधन को सत्ता में बनाने के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम व्याकुल हैं। इसलिए उनको समझ में नहीं आता है।

फिलहाल यह सपना देखना छोड़ दें, क्योंकि वह दुर्योधन को कभी नहीं राज दे सकते हैं। दुर्योधन का जो हाल था वही होने वाला है। लालू प्रसाद यादव घोटालों के हैं सम्राट भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव बड़बोले नेता हैं। वह घोटालों के सम्राट रहे हैं। वह झारखंड के कोटवार जेल को सुराभित कर चुके हैं और सजायापता हैं। लालू प्रसाद यादव अभी धृतराष्ट्र के रोल में हैं। अपने पुत्र दुर्योधन को सत्ता में बनाने के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम व्याकुल हैं। इसलिए उनको समझ में नहीं आता है।

दुनिया में भारतीय संस्कृति का महत्व बढ़ रहा है: गजेन्द्र शेरवावत

नयी दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेरवावत ने देश की सांस्कृतिक, आर्थिक और वैश्विक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि भारत का प्रभाव केवल अपने सीमित भूभाग तक नहीं, बल्कि मध्य एशिया तक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। श्री शेरवावत ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए) में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट 'मौसम' के तहत 'मानसून' द स्फीयर ऑफ कल्चरल एंड ट्रेड इन्फ्लुएंस' शीर्षक से दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कल शाम यह बात कही। सेमिनार का आयोजन एसजीटी विश्वविद्यालय के एडवॉंस स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया के सहयोग से किया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन, डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी 'एशिया' के शोध निदेशक प्रो. अमोघ राय और आईजीएनसीए के प्रोजेक्ट मौसम के निदेशक डॉ अजित कुमार सहित अन्य गणमान्य मौजूद थे। श्री शेरवावत ने कहा, 'हमारे यहां से लेकर के मध्य एशिया तक, सब देशों के बीच हमारी संस्कृति का प्रभाव निर्विवाद रूप से दिखाई देता है और उसके चलते जो वृहत्तर भारत की कल्पना है, उसका मूल आधार भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक संपन्नता है। उन्होंने कहा, 'अब भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है, भारत की पहचान बदल रही है, भारत की जनशक्ति बढ़ रही है और पूरे विश्व में भारत की क्षमताओं का प्रभुत्व नए सिरे से स्थापित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से।

मुफ्त खोर नहीं बना रहे?

● सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उठाए 'रेवडी' योजनाओं पर सवाल, किस मामले पर थी सुनवाई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट की पूरी टिप्पणी क्या थी? अदालत ने किस मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की? सुप्रीम कोर्ट ने किन राज्यों की योजनाओं को लेकर मुफ्त एलानों पर निशाना साधा? इसके अलावा यह जानना भी अहम है कि किन राज्यों में वैसी ही योजनाएं लागू की गई हैं? आइये जानते हैं... सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शहरी बेघरों के लिए आश्रय की मांग वाली जनहित याचिका को लेकर सुनवाई की। इस मामले में सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के जज जस्टिस बीआर गवई ने इशासों-इशासों में राजनीतिक दलों की रेवडी योजनाओं पर निशाना साधा। जस्टिस गवई ने कहा कि बेहतर होगा कि लोगों को परजीवी (दूसरों पर निर्भर रहने वाला) बनाने के बजाय समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए ताकि वे भी देशहित में अपना योगदान दे सकें। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद देशभर में रेवडी संस्कृति और मुफ्त की योजनाओं को लेकर



मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

चर्चा जारी है। हालांकि, यह जानना अहम है कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी टिप्पणी क्या थी? अदालत ने किस मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की? सुप्रीम कोर्ट ने किन राज्यों की योजनाओं को लेकर मुफ्त एलानों पर निशाना साधा? इसके अलावा यह जानना भी अहम है कि किन राज्यों में वैसी ही योजनाएं लागू की गई हैं? आइये जानते हैं... पहले जानें- अदालत ने किस मामले की सुनवाई के दौरान की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में ईआर कुमार बनाम केंद्र सरकार, 2003 के मामले पर सुनवाई हो रही है। अगर संक्षेप में समझा जाए तो यह मामला शहरों में बिना घरों के रह रहे लोगों के लिए आश्रय सुनिश्चित करने से जुड़ा है। अक्टूबर 2022 में इस

मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को शहरी बेघरों के लिए आश्रयों से जुड़ी एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। पिछले राज्यों की योजनाओं को लेकर मुफ्त एलानों पर निशाना साधा? इसके अलावा यह जानना भी अहम है कि किन राज्यों में वैसी ही योजनाएं लागू की गई हैं? आइये जानते हैं... पहले जानें- अदालत ने किस मामले की सुनवाई के दौरान की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में ईआर कुमार बनाम केंद्र सरकार, 2003 के मामले पर सुनवाई हो रही है। अगर संक्षेप में समझा जाए तो यह मामला शहरों में बिना घरों के रह रहे लोगों के लिए आश्रय सुनिश्चित करने से जुड़ा है। अक्टूबर 2022 में इस

निवेशक सम्मेलन

पिछले तीन दशकों में आर्थिक उदारीकरण के दौर में विभिन्न राज्यों ने निवेशक सम्मेलनों से जहां कर्नाटक और तेलंगाना ने आईटी सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत की है, वहीं गुजरात ने जेम्स-ज्वेलरी व रसायन उद्योग, तमिलनाडु ने ऑटो मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत किया। अब आंध्र प्रदेश ने औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने, निर्यात बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए छह परिवर्तनकारी नई नीतियों से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का आगाज किया है। इसी लीक पर चलते हुए आगामी 9 से 11 दिसम्बर तक राजस्थान सरकार प्रदेश में निवेशक सम्मेलन 'राइजिंग राजस्थान' का आयोजन कर रही है। विकसित भारत का लक्ष्य पाने की दिशा में ऐसे आयोजन मौजूदा अर्थजगत में काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विविधता समृद्ध देश भारत आज विश्व में अपनी नई पहचान बना रहा है। देश की विविधतापूर्ण संस्कृति के साथ प्राकृतिक संसाधन देश के विभिन्न राज्यों में नवीन आर्थिक संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां औद्योगिक विकास की खूब संभावनाएं हैं। धरती धाराओं से घेरों में जहां अपार खनिज एवं तेल भंडार हैं तो वहीं रंग-बिरंगे परिधानों के लिए कपास व ऊन भी यहां खूब है। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के हुनर के साथ मिलेट और मसालों से बने यहां के स्वादिष्ट व्यंजन देश ही नहीं दुनियाभर में मशहूर हैं। कृषि योग्य जमीन भी यहां खूब है तो सौर व पवन ऊर्जा के लिए भी संभावनाओं की कमी नहीं है। जब प्रकृति का आशीर्वाद मिले तो बस उद्यमियों का साथ आना जरूरी है, फिर उस क्षेत्र की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। इसी उद्यमशीलता को नई ऊर्जा देने के लिए निवेश, आर्थिक प्रोत्साहन, व्यावसायिक कौशल, सुशासन और सबसे अधिक जिस चीज की आवश्यकता है, वह है 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'। प्रदेश में व्यापारियों-उद्यमियों को अगर अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो निवेशक स्वयं आकर्षित होंगे।

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देश के बाकी राज्य भी विकसित भारत और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों के तहत अपने-अपने प्रदेश में नवाचार व औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दे रहे हैं। गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु के बाद अब देश-दुनिया के समक्ष राइजिंग राजस्थान मॉडल को पेश करने की बारी है। इसके लिए घरेलू स्तर पर या यूं कहें कि जमीनी स्तर पर कुछ कार्य करने होंगे, कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा। अपार संभावनाओं को ऐसे परिणामों में बदलना होगा कि निवेशक स्वयं यहां निवेश करने के लिए आएँ, उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा माहौल बने कि उद्योगपति राजस्थान में निवेश के लिए लालापित नजर आएँ। इसके लिए स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर तो ध्यान देना ही होगा, बोझिल और कष्टदायी सरकारी प्रक्रिया का सरलीकरण और व्यवस्था को लातफतीताशाही से छुटकारा दिलाना इस दिशा में पहला कदम होना चाहिए।

उद्योग लगाने से जुड़ी प्रक्रिया जटिल नहीं होनी चाहिए और न ही उद्योगपतियों में कोई डर होना चाहिए। इंद्रधनुषी संस्कृति वाले राजस्थान के शहर पिक सिटी, ब्लू सिटी, सन सिटी, लेक सिटी के नाम से देश-विदेश में जाने जाते हैं। कितने ही पर्यटन स्थलों को विश्व विरासत में स्थान मिल चुका है। इनके सतत संरक्षण व संवर्धन ने पर्यटन उद्योग के लिए संजीवनी बूटी का काम किया और राज्य ने विश्व पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान बनाई। बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग और फिल्मी सितारों की डेस्टिनेशन वेडिंग ने प्रदेश के कई स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर नई ऊंचाइयों प्रदान की हैं। हालांकि पर्यटन काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन राइजिंग राजस्थान निवेशक सम्मेलन को राजस्थान की कृषि, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, खनिज, सौर व पवन ऊर्जा, कौशल, उद्यमशीलता और क्लस्टर मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश जुटाने की दिशा में प्रयास करने चाहिए जिससे अधिक रोजगार पैदा करने वाली कंपनियों के लिए विशेष प्रोत्साहन और निवेश का रास्ता बने। इस संबंध में आंध्र प्रदेश का संदर्भ देना प्रासंगिक होगा। आंध्र प्रदेश और राजस्थान, निवेश और औद्योगिक क्रांति के द्वार पर खड़े हैं। पिछले दिनों आंध्र सरकार ने राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इससे राज्य के उद्योग जगत को काफी लाभ मिलेगा। उन्हें 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' नीति का लाभ मिलने के साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा भी मिलेगा। इन नीतियों के जरिए संदेश दिया गया है कि व्यवसाय जगत को जितना अधिक भ्रष्टाचार मुक्त और निर्बाध स्वीकृति वाला बनाया जाएगा, वहां उतना ही अधिक विपणन होगा और उतनी ही अधिक अनुपातिक निवेश और प्रगति होगी। राजस्थान को भी ऐसी ही नीतियां और औद्योगिक व्यवस्था लागू करने की कोशिश करनी होगी। प्रदेश के विकास का मॉडल ऐसा बने कि बाहर जा कर बसे मारवाड़ी, शेखावाटी सहित सभी प्रवासी राजस्थानी और विदेशी उद्यमी प्रदेश में निवेश के लिए किसी औपचारिक आमंत्रण की प्रतीक्षा न करें।

जनता और सरकार दोनों के लिए जरूरी है बचत

वर्ष 2008 में जब अमरीका और यूरोप में वित्तीय उठापटक का भयंकर दौर आया था, तब एक के बाद एक बैंक तथा वित्तीय संस्थान धराशायी होते चले गए थे जबकि भारत मजबूती से खड़ा रहा था। अमरीका का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान लेहमैन ब्रदर्स दिवालिया हो गया और यह अपने आप में अमरीका के वित्तीय इतिहास का सबसे बड़ा मामला था। इसके असर से अमरीका और यूरोप के कई वित्तीय संस्थान धराशायी हो गए थे। लेहमैन ब्रदर्स क्यों डूबा, यह किसी शोध का विषय नहीं है। वजह थी कि लेहमैन ब्रदर्स ने बहुत बड़े पैमाने पर उन ग्राहकों को लोन दिया था जो चुकाने की योग्यता नहीं रखते थे। जब ऋण अदायगी का समय आया तो लाखों ग्राहक डिफॉल्ट कर गए। बैंक थोड़े ही समय में दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया। यह दिवालिया मामला 600 अरब डॉलर के आसपास था, जो शेयर बाजारों तक को ले डूबा। जाहिर है कि साथ-साथ कई वित्तीय संस्थान भी डूब गए।

जब यह वित्तीय सुनामी सारी दुनिया में चल रही थी तो आशंका व्यक्त की गई थी कि इसका बेहद बुरा प्रभाव विकासशील भारत पर पड़ेगा जहां वित्तीय संसाधन पश्चिमी देशों के मुकाबले में सीमित हैं और आर्थिक दक्षता नहीं है। नतीजतन कई कंपनियों ने कमर कस ली और छंटनी से लेकर लागत कम करने के सभी उपाय कर लिए जिससे आसन्न संकट टल जाए। संतोष की बात रही कि यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बात ने विदेशी आर्थिक विशेषज्ञों को हैरान कर दिया और इस बात पर गहन चिंतन हुआ कि आखिर भारतीय वित्तीय संस्थान और बैंक इसके लपेटे में क्यों नहीं आए। तब यह पाया गया कि भारतीयों ने बैंकों वगैरह से लोन बहुत कम लिया था और जो लोन मकान वगैरह खरीदने के लिए लिया था उसके एवज में बकायादा उतने मूल्य की गिरवी भी रखी थी। लोगों में इतनी क्षमता थी कि वित्तीय व्यवधान के बावजूद वे अपनी किस्तों का भुगतान कर रहे थे और आर्थिक रूप से मजबूत दिख रहे थे। दिलचस्प बात यह भी थी कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी थे जो नकद देकर मकान-दुकान या वाहन वगैरह खरीद रहे थे। उनकी

इस वित्तीय ताकत ने देश को बचा लिया और उस सुनामी का बहुत ही मामूली असर दिखाई पड़ा। नौकरियां जाने के बावजूद वे अपने पैरों पर खड़े थे। उनकी क्रय शक्ति में कमी तो आई लेकिन वे आर्थिक रूप से विपन्न नहीं हुए। और यह सब इसलिए हुआ कि उनके पास बचत थी जो बैंक बैलेंस के रूप में थी और काफी कुछ सोने-चांदी के रूप में भी। उन्होंने यह सब कुछ बुरे समय के लिए ही रखा था और यह उनके उपयुक्त समय में काम आया।

ऐसा ही कुछ कोरोना के संकट के दौरान हुआ जब बड़े पैमाने पर नौकरियां तो गईं, छोटे व्यवसायों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और आमदनी



घट गई। तब बचत के पैसों से उन्होंने घर चलाया और बुरा समय निकाला। भारत और चीन दुनिया में दो ऐसे देश हैं जिनके लोग हजारों वर्षों से बचत करते रहे हैं। अपनी मेहनत की कमाई में से एक हिस्सा वे बचाकर रखते थे जो उनके बुरे वक्त या फिर सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में काम आता था। आपने मिट्टी के हाडियों में सोने के सिक्के पाए जाने की कई खबरें सुनी होंगी या फिर जमीन में गड़े धन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। पर मध्य काल के बाद अंग्रेज आए और उन्होंने अपने डेढ़ सौ साल के शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था को लूटकर बर्बाद कर दिया। इससे

भारतीयों की परचेजिंग पॉवर और इनकम दोनों ही निम्नतम स्तर पर जा पहुंची थी। फिर एक ऐसा समय आया जब एफडी के माध्यम से लोग पैसे बचाने लगे। करोड़ों लोग बुढ़ापे के लिए, तो काफी बड़ी तादाद में लोग घर-परिवार की जिम्मेदारियों के लिए बचाने लगे।

लेकिन हाल के वर्षों में बहुत चिंताजनक प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। 2020 के बाद से लोगों में, खासकर युवा वर्ग (जिसे मिलेनियल कहा जाता है) बढ़-चढ़ कर खर्च करने की प्रवृत्ति तो देखी जा रही है, पर बचत में विश्वास कम ही देखा जा रहा है। जब में पैसे न हों तो वे क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि सितंबर 2024 में क्रेडिट कार्ड से भारतीयों ने 1.76 खरब रूपए खर्च किए। यह पिछले साल की तुलना में 25 फीसदी ज्यादा है। यह राशि छह माह में सबसे ज्यादा है, यानी अब लोग पैसे बचाने की बजाय खर्च करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं।

भारत में बचत की प्रवृत्ति घट रही है। इसका एक उदाहरण इस तथ्य से मिलता है कि 2023 में देश में घरेलू बचत घटकर जीडीपी की 18.4 प्रतिशत रह गई जबकि 2022 में यह 22.7 प्रतिशत थी। एक शोध से पता चलता है कि देश को जीडीपी में 8 फीसदी से ज्यादा बढ़ाव देना चाहिए तो हमें 35 प्रतिशत बचत और निवेश करना ही होगा। यहां पर समस्या यह है कि बैंकों की ब्याज दरें इतनी नहीं हैं कि वे अब लोगों को आकर्षित करें। उनकी बचत का पैसा अब म्यूचुअल फंड में जा रहा है क्योंकि वहां से उन्हें बेहतर रिटर्न की उम्मीद होती है। आंकड़ों के मुताबिक 2022 की पहली तिमाही में बैंकों में डिपॉजिट 50 सालों के न्यूनतम पर जा पहुंचा।

अभी जरूरी है कि सरकार बचत को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए। बचत स्कीमों से आया पैसा सरकार की योजनाओं पर ही खर्च होता है। यह उधार लेने के लिए सरकार के पास सस्ता और सुगम रास्ता है। अगर बचत घटती जाएगी तो सरकारें महंगी दरों पर बाजार से पैसा उठाएंगी जो लाभकारी नहीं होगा। बचत जनता और सरकार दोनों के लिए जरूरी है। बचत निश्चित रूप से बुरे वक्त का साथी बनेगी, जैसा कि होता आ रहा है।

आरक्षण के लिए धर्म परिवर्तन करना धोखाधड़ी

प्रो. हरबंश दीक्षित
डीन, विधि संकाय तीर्थंकर महावीर वि.वि., मुरादाबाद

आरक्षण के लिए धर्म परिवर्तन पर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया। सी. सेल्वरानी बनाम विशेष सचिव-सह जिला कलेक्टर के अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल आरक्षण पाने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन संविधान के साथ छल करने के बराबर है और उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इसमें संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किए गए अपने पसंद की पूजा पद्धति को अपनाने तथा अनुच्छेद-16 (4) में अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण और उसकी पात्रता के अंतर्संबंधों की विवेचना की गई। सी. सेल्वरानी का जन्म एक ईसाई पिता तथा संस्थानेरी मां के घर हुआ था। जब वह शिशु थी तभी उनका बपतिस्मा कर दिया गया था। किंतु सेल्वरानी का दावा था कि विवाह के बाद उनकी माता ने हिंदू धर्म अपना लिया था और चूंकि मूलतः वे लोग वल्लुवन जाति से संबंधित थे। अतः पुद्दुचेरी में अनुसूचित जाति मानते हुए उसका प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों का कहना था कि उनका परिवार ईसाई धर्म को मानता है इसलिए उन्हें संविधान (पुद्दुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964 के अंतर्गत अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद-25 में हर व्यक्ति को अपने पसंद की पूजा पद्धति अपनाने का अधिकार है। इस अधिकार का उपयोग करते हुए कोई भी व्यक्ति नया धर्म अपना सकता है या अपने पुराने धर्म में वापसी कर सकता है। किंतु जब धर्म परिवर्तन का उद्देश्य यह हो कि उसे वंचित समाज को मिलने वाले आरक्षण का लाभ भी मिले तो ऐसी परिस्थिति में न्याय की मांग यह है कि इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर भी विचार अवश्य होना चाहिए।

वंचित समुदाय को दिया जाने वाले आरक्षण का संबंध उनके सामाजिक वंचना की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। यह सामाजिक रूप से वंचित समुदाय को आगे लाकर शेष लोगों के बराबर लाने के उद्देश्य से दिया जाता है। अदालत ने कहा कि दूसरे धर्म में परिवर्तन करने से आमतौर पर व्यक्ति के मूल जाति की स्थिति समाप्त हो जाती है। ईसाई धर्म चूंकि जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देता, इसलिए ईसाई

होने के बाद सी. सेल्वरानी की जातीय पहचान समाप्त हो गई। अदालत के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी था कि क्या कोई व्यक्ति अपने पुराने धर्म में वापसी कर सकता है और इसी से जुड़ा हुआ यह भी कि अपने पुराने धर्म में वापसी के बाद क्या उसे उसी जाति का सदस्य माना जा सकेगा जिसका कि वह हिंदू धर्म छोड़ने के पहले था। पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, अतः उसे उस धर्म को भी पुनरु अपनाते का अधिकार है जिसको छोड़कर उसने किसी दूसरे धर्म

न्यायालय ने अपने पुराने मत की पुष्टि करते हुए कहा था कि अपनी पुरानी जाति द्वारा स्वीकार किए जाने का पर्याप्त साक्ष्य होने पर ही वापस पुरानी जाति का हिस्सा माना जा सकता है। सी. सेल्वरानी के मौजूद मामले में उन्हें यह साबित करना था कि हिंदू धर्म में वापसी का उसका आशय रहा हो, उसके वापस आने पर उसके समुदाय द्वारा उसके मूल जाति द्वारा अपना लिया गया हो तथा उसका हिंदू प्रथाओं को अपनाने का ईमानदार आशय रहा हो। अदालत के सामने रखे गए साक्ष्यों से स्पष्ट था कि उसका बपतिस्मा करके उसके माता-पिता के विवाह का पंजीकरण ईसाई कानून के अंतर्गत किया गया था तथा उसे जानने वालों के बयानों से भी इस तथ्य की पुष्टि हुई थी कि सी. सेल्वरानी नियमित रूप से ईसाई धर्म की परम्पराओं का पालन करती थी, इसलिए उसके पुनरु हिंदू धर्म अपनाने के दावे को अस्वीकार कर दिया गया। आरक्षण के आकर्षण तथा सामाजिक जटिलताओं के बढ़ने के साथ सी. सेल्वरानी जैसे मामलों की संख्या में आगे और भी वृद्धि होगी। ऐसे में 'घर वापसी पर पुराने समुदाय द्वारा अपनाए जाने' के आधार पर पुराने समुदाय का हिस्सा मानने का सिद्धांत लंबे समय तक प्रभावी नहीं रह पाएगा क्योंकि पहले भी अदालत को इस सिद्धांत से पीछे हटना पड़ा है।

जहांआरा जयपाल सिंह (1972) के मुकदमे में इससे मिलती-जुलती जटिलता थी। जहांआरा एक गैर आदिवासी महिला थी किंतु उनकी शादी मुंडा आदिवासी पुरुष से हुई थी। उनके विवाह के समय और उसके बाद आदिवासी समुदाय द्वारा उसे स्वीकृति दी गई थी, इस आधार पर उन्हें आदिवासी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण का पात्र माना गया किंतु बाद में इसके दुष्प्रभाव सामने आने लगे। लोग अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्ग विवाह के आधार पर आरक्षण का दावा करने लगे। न्यायहित में सुप्रीम कोर्ट को पुराने सिद्धांत में परिवर्तन करना पड़ा और शोभा हिमावती देवी बनाम गंगाधर स्वामी (2005) तथा सुनीता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश (2018) जैसे मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर ही होगा तथा अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति यदि आरक्षित वर्ग के व्यक्ति से विवाह कर लेता है तो उस समुदाय की स्वीकृति के बाद भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। इन परिस्थितियों में समय का तकाजा यह है कि इस तरह के मामलों के लिए केंद्रीय स्तर पर स्पष्ट कानून बना दिया जाए।



को अपना लिया था। किंतु वापस अपने धर्म में आने पर वह स्वतः ही अपनी जाति का सदस्य नहीं मान लिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी इस विषय पर विचार किया था कि घर वापसी के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पुरानी जाति का हिस्सा माना जाएगा या नहीं। सी.एन. अरुमुगम बनाम एस. राजगोपाल (1975) ने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वापस हिंदू धर्म अपनाने पर क्या उसकी जाति के लोगों ने उसे अपना लिया है। यदि उसकी जाति के लोगों ने अपना लिया है तो उसे अपनी पुरानी जाति का हिस्सा माना जा सकेगा।

इसी तरह का प्रश्न प्रिंसिपल गुण्टूर मेडिकल कॉलेज बनाम वाई. मोहन राव (1976) के मुकदमे में भी उठा था। इसमें भी सर्वोच्च

सख्ती से पालना जरूरी

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पैकेज्ड मिनरल वाटर (बोतलबंद पानी) को 'हार्ड-रिस्क फूड कैटेगरी' में वर्गीकृत किया है। यह निर्णय स्वास्थ्य और उपभोक्ता अधिकारों के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पहल है। यह कदम न केवल उपभोक्ताओं को सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करेगा, बल्कि पानी की गुणवत्ता और इसके मानकों को लेकर बढ़ती चिंताओं को भी दूर करने में मददगार साबित होगा। भारत में पैकेज्ड मिनरल वाटर बेचने की शुरुआत हालांकि 1960 में हो गई

थी, लेकिन 90 के दशक में यह व्यवसाय परवान पर बढ़ने लगा। आज तो शहरों से लेकर गांव और कस्बों तक बोतलबंद पानी पहुंच गया है। बोतलबंद पानी के कारोबार का बाजार वर्ष 2022 में लगभग 20,000 करोड़ रूपए का था। यह उद्योग हर साल लगभग 15-20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। अगले वर्ष तक यह बाजार 35,000 करोड़ रूपए तक पहुंचने की उम्मीद है। अगले वर्ष तक यह बाजार फूड कैटेगरी में वर्गीकृत करने का

निर्णय सही हो सकता है, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि करीब छह दशक से चल रहे इस कारोबार के इस श्रेणी तक पहुंचने की नौबत क्यों आई। असल में प्राकृतिक जलस्रोत कुएं, बावड़ी धीरे-धीरे सूखते गए। नदियां प्रदूषित होने लगीं। शहरी क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन होने लगा। बरसात के पानी को सहजने की व्यवस्था न होने से भूभाग का पानी रिचार्ज नहीं हो रहा और पेयजल का संकट गहराता गया। इसी का फायदा उठाकर सैकड़ों कंपनियां बोतलबंद

पानी के कारोबार में उतर गईं। आज कई ऐसी इकाइयां हैं जो मानकों पर धरती नहीं उतरतीं। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। निगरानी के अभाव में सादे पानी तक को बोतल में भरकर कुएं, बावड़ी धीरे-धीरे सूखते गए। नदियां प्रदूषित होने लगीं। शहरी क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन होने लगा। बरसात के पानी को सहजने की व्यवस्था न होने से भूभाग का पानी रिचार्ज नहीं हो रहा और पेयजल का संकट गहराता गया। इसी का फायदा उठाकर सैकड़ों कंपनियां बोतलबंद

पानी के कारोबार में उतर गईं। आज कई ऐसी इकाइयां हैं जो मानकों पर धरती नहीं उतरतीं। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। निगरानी के अभाव में सादे पानी तक को बोतल में भरकर कुएं, बावड़ी धीरे-धीरे सूखते गए। नदियां प्रदूषित होने लगीं। शहरी क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन होने लगा। बरसात के पानी को सहजने की व्यवस्था न होने से भूभाग का पानी रिचार्ज नहीं हो रहा और पेयजल का संकट गहराता गया। इसी का फायदा उठाकर सैकड़ों कंपनियां बोतलबंद

लागत बढ़ सकती है। ऐसे में इसे संतुलित करने के लिए सरकार रियायतें और सब्सिडी देने पर विचार कर सकती है। सरकार को खास तौर से ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पानी की उपलब्धता को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राकृतिक जल संसाधनों को सहेजने की जरूरत है। कंपनियों को भी रीसाइक्लिंग और वैकल्पिक पैकेजिंग विकल्प अपनाने चाहिए। इस निर्णय के प्रभावों को संतुलित करने व सुरक्षित व सुलभ जल की उपलब्धता के लिए सरकार और कंपनियों को मिलकर काम करना होगा।



